

पत्र संख्या : 7ब/4701 योज०सं०-09/12 - 208

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, देवघर;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉची, दिनांक : 1-3-17

विषय :- मॉग संख्या- 49 -जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-62-मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड 49P470180796620545 के अन्तर्गत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2012-2013 में निधि का आवंटन।

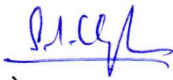
महाशय,

वित्तीय वर्ष 2012-2013 में बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को परिशिष्ट-2 में वर्णित कार्यों पर व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ 80-सामान्य	796- जन- जातीय क्षेत्रीय उपयोजना/ 62 -मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण	05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, 49P470180796620545	317.00

आवंटित राशि - ₹ तीन करोड़ सत्तरह लाख मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2012-13 के बजट उपबंध रु. 413.00 लाख (चार करोड़ तेरह लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति (परिशिष्ट 1 के स्तंभ 6 में वर्णित) एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट-2 में वर्णित कार्यों हेतु किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
- राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।


(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता


(जयप्रकाश भट्टाचार्या)
उप सचिव (अभि.)


(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

hi

9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 20 मार्च 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :- 1-3-13

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/राँची/देवघर सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :- 1-3-13

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त,/सचिव योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता


(जयप्रकाश भट्टाचार्या)
उप सचिव (अभि.)


(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

विभागीय पत्रांक.....208..... दिनांक1-3-17..... का अनुलग्नक

परिशिष्ट -1

मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय,

उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,

लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना,

उप शीर्ष -62-मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, 49P470180796620545

वित्तीय वर्ष 2012-13 में बजट उपबंध 413.00 लाख (चार करोड़ तेरह लाख) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग	मार्च 2012 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2012-13 में आवंटन			अभ्युक्ति
							पूर्व का आबंटन	अतिरिक्त आबंटन	कुल आवंटित राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	पुनासी बाँध प्रमण्डल, पुनासी शिविर-देवघर	देवघर	पुनासी जलाशय योजना	18582.000	1191/17.10.1998	12909.000	11.800	154.100	165.900	
2	पुनासी स्वीलवे प्रमण्डल, पुनासी शिविर-देवघर						0.225	162.900	163.125	
कुल							12.025	317.000	329.025	
अतिरिक्त आवंटित राशि – ₹ तीन करोड सत्तरह लाख मात्र।										

11.00/
(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

69
(जयप्रकाश भट्टाचार्या)
उप सचिव (अभि.)

10/05
(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

11/05
(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

11/05
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव।

विपत्र कोड 49P470180796620545

(लाख ₹ में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	कार्य का विवरण	पूर्व का आबंटन	अतिरिक्त आबंटन	कुल आवंटित राशि	अभ्युक्ति	
1	पुनासी बाँध प्रमण्डल, पुनासी शिविर-देवघर	पुनासी जलाशय योजना	A-Preliminary					
			1	Survey work (Pillaring-work)	0.000	1.000	1.000	
			B-Land					
			1	Payment of land Acquisition	5.000	0.000	5.000	
			2	Payment of Rahabilitation	0.000	140.000	140.000	
			C-Works					
			1	Payment of G.S.I Kolkata for advice	1.000	1.000	2.000	
			2	Construction of Dam from ch. 53 to ch. 70	0.000	5.000	5.000	
			3	Residual work of Dam from ch. 0 to 53	0.000	5.000	5.000	
			D-Regulator					
			1	Construction of Dam outlet at ch. 19.20 Agreement no. 1F2/2005-06	5.400	0.000	5.400	
			O-Misecellaneous					
			1	R.M to I/V	0.400	1.000	1.400	
			2	Payment of Stationary of Computer, Photo- State & Maintenance work	0.000	1.100	1.100	
Total				11.800	154.100	165.900		
2	पुनासी स्वीलवे प्रमण्डल, पुनासी शिविर-देवघर	पुनासी जलाशय योजना	A-Preliminary					
			1	Core Drilling of Spill Channel & Stilling	0.000	4.718	4.718	
			2	Survey work of Spillway approach channel	0.000	1.000	1.000	
			C-Works Construction of Punasi Spillway with gates					
			1	Earth work	0.000	65.682	65.682	
			2	Concrete work	0.000	50.000	50.000	
			3	Carriage of construction material and other	0.000	10.000	10.000	
			4	Approch Channel	0.000	10.000	10.000	
			5	Spill Channel	0.000	20.000	20.000	
			O-Misecellaneous					
			1	Repair of T&P	0.225	0.500	0.725	
			T& P Material					
			1	Purchase of office furniture	0.000	1.000	1.000	
			Total				0.225	162.900
Grand Total				12.025	317.000	329.025		

अतिरिक्त आवंटित राशि - ₹ तीन करोड सत्तरह लाख मात्र।

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

(जयप्रकाश भट्टाचार्या)
उप सचिव (अभि.)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव।